बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

सं0–03/आ01–280/2024 I/355510/ श्री अनिल कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति उप सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार, पटना के विरुद्ध राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा आरोप पत्र का गठन कर प्रेषित किया गया। इसमें मुख्य रूप से समग्र शिक्षा अंतर्गत स्वीकृत असैनिक कार्य की योजनाओं का अनुश्रवण नहीं करने एवं योजनाओं के भुगतान में गंभीरता नहीं बरतने, FLN Kin एवं LEP Kit के वितरण एवं E-Shiksha Kosh पर बच्चों के टैगिंग के संबंध में प्रगति अत्यंत ही धीमी रहने, के.जी.बी.भी. के संचालन हेतु सेट किये गये वित्तीय अधिसीमा के विरुद्ध कम व्यय होने आदि के आरोप हैं।

2. प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में श्री अनिल कुमार से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। प्राप्त बचाव अभिकथन की प्रति राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को उपलब्ध कराते हुए उनसे मंतव्य की मांग की गयी।

3. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा श्री अनिल कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति उप सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार, पटना के आरोप प्रकरण में मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वर्णित है कि समग्र शिक्षा के संबंधित कार्यक्रमों में प्रगति हुई है एवं प्रगति लाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सार्थक प्रयास किये गये हैं। अतः उक्त के आलोक में श्री अनिल कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति उप सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना को आरोप से मुक्त करने पर विचार किए जाने की अनुशंसा की गई है।

4. अतः राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अनिल कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति उप सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना पर चल रहे इस आरोप/लांछन प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–280/2024 I/355510/ पटना, दिनांक– 28-01-2026

E:\Manish

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमण्डल, सहरसा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा/श्री अनिल कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति उप सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार, पटना एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 28-01-2026 14:12:55

निदेशक (प्रशासन)